ऑनलाइन संविलियन अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करने की प्रक्रिया

Educationportal.mp.gov.in पर DEO user / password से लॉग इन करें :

Main Menu में जाकर **"Online Counselling "** आइकॉन को सेलेक्ट करें

"Verification " विकल्प का चयन करें जिसमे **Verification by DEO** विकल्प का चयन करना होगा :

तत्पश्चात निम्न स्क्रीन प्राप्त होगी | निम्नानुसार स्क्रीन पर उल्लेखित निर्देशों को भली भाँती अध्ययन कर लें :

Welcome to Verification Process for Samvilion

- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी वेरिफिकेशन प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बंधित को स्थानीय निकाय द्वारा NOC प्राप्त हो गयी है | यदि NOC प्राप्त नहीं हुई है तो आवेदन को रिजेक्ट किया जाये और रिजेक्ट करने का कारण स्पष्ट रुप से अंकित किया जाए |
- सभी आवेदकों के विषय की जानकारी , उनकी पदस्थी संस्था ग्रामीण अथवा शहरी है, की स्पष्ट जानकारी और उनका पद सहायक अध्यापक होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बंधित सहायक अध्यापक प्रयोग शाला/PTI / Music आदि का ही है | यदि उक्त श्रेणी का नहीं है तो तत्काल आवेदन को रिजेक्ट किया जाये |
- गंभीर बीमारी के प्रकरणों को ध्यानपूर्वक देखे और शासन की नीति अनुसार उपयुक्त पाए जाने पर ही सत्यापित करें | दस्तावेजों का परीक्षण ओरिजनल दस्तावेजों को देखकर अथवा सेवा पुस्तिका से देखकर ही करें |
- निशक्त आवेदकों के प्रकरणों में यह आवश्यक रुप से देखें कि आवेदक की नियुक्ति विकलांग कोटे अंतर्गत हुई हो | इसका सत्यापन सम्बंधित की सेवा पुस्तिका में देखकर करें | इसी प्रकार विधवा/ परित्यक्ता के प्रकरणों में भी प्रमाण पत्र देखकर सत्यापित करें |
- यदि आवेदन मे जन्म तिथि / विषय/ विकलांगता/ रोगग्रस्त /वेवहिक स्थिति इत्यादि की कोई गलत जानकारी भरी गयी है तो उसे आपके द्वारा संशोधित किया जा सकेगा |
- आवेदकों द्वारा गत वर्षों के परीक्षा परिणाम की जानकारी भरी गयी है जिसे संस्था के रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापित करें और आवश्यक होने पर जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से संशोधित की जा सकेगी |
- पारस्परिक संविलियन के प्रकरणों में यह सुनिश्चित कर लें कि दोनों आवेदकों के पद और विषय समान है यदि नहीं है तो तत्काल आवेदन कारण दर्शाते हुये रिजेक्ट किया जाये |

Download List of Application for NOC (Click)

सत्यापन हेतु आवेदकों की सूची प्राप्त करें (Click)

- उपरोक्त अनुसार यदि पूर्ण सूची प्राप्त करना हो तो पहला आप्शन "**Download List of Application for NOC (Click)**"चुने जिसमें सम्बंधित जिले के वरिष्ट अध्यापक/ अध्यापक/ सहायक अध्यापक (PTI/Lab/Music) की सूची डाउनलोड की जा सकेगी |
- द्वितीय आप्शन "**सत्यापन हेतु आवेदकों की सूची प्राप्त करें(Click)**" से प्रत्येक आवेदन को वेरीफाई अथवा निरस्त किये जाने की कार्यवाही की निम्नानुसार जाएगी :

Select Designation : Varisth Adhyapak

- Select -
Varisth Adhyapak
Adhyapak
Sahayak Adhyapak (PTI,LAB,MUSIC)

Please enter the code shown above

View Applications List

S.No.	Employee Code	Employee Name	DISE Code	School Name	School Type	Designation Name	DOB	Merital Status	Is Critically Ill	Is Disabled	Subject	Appointment Date	Update And Verify
1	BW8353	MANOJ RAJAK	23340304813	GHSS Gadi	HSS	Varistha Adhyapak	03/08/1983	Married and Spouse is an employee of MP State School Education Department	NO	NO		05/07/2013	Approved/ Reject
2	AT7880	ANAMIKA TIWARI	23340405613	HSS Chiklodkala	HSS	Varistha Adhyapak	07/07/1976	Married and Spouse is NOT an regular employee of State/GoI Dept	NO	NO	English	22/09/2007	Approved/ Reject
3	AT5503	PRAVEEN BARDE	23340103810	HSS Bharkach	HSS	Varistha Adhyapak	02/08/1977	Married and Spouse is NOT an regular employee of State/GoI Dept	NO	NO	Maths	10/11/2006	Approved/ Reject
4	AT5108	ASHOK KUMAR RAJAK	23340221104	Govt. Hss Sunwaha	HSS	Varistha Adhyapak	12/03/1967	Married and Spouse is NOT an regular employee of State/GoI Dept	NO	NO	Political Science	22/07/1998	Approved/ Reject
5	AT5905	ANJANA JAIN	23340424926	Boys HSS Obedullaganj	HSS	Varistha Adhyapak	25/06/1969	Married and spouse is a REGULAR employee of State/GoI Department	NO	NO	English	01/07/1998	Approved/ Reject
6	BZ1281	MUKESH CHANDRA BHALA	23340101229	Boys HSS Badi	HSS	Varistha Adhyapak	10/04/1985	Married and Spouse is NOT an regular employee of State/GoI Dept	NO	NO	Sanskrit	10/02/2014	Approved/ Reject

Approve/ Reject बटन पर क्लिक करेंगे तो निम्न स्क्रीन प्राप्त होगी :

निम्न स्क्रीन पर सम्बंधित आवेदक की विस्तृत जानकारी के साथ उसके द्वारा भरी गयी चॉइस की संख्या और उसे देखने की सुविधा भी दी गयी है |

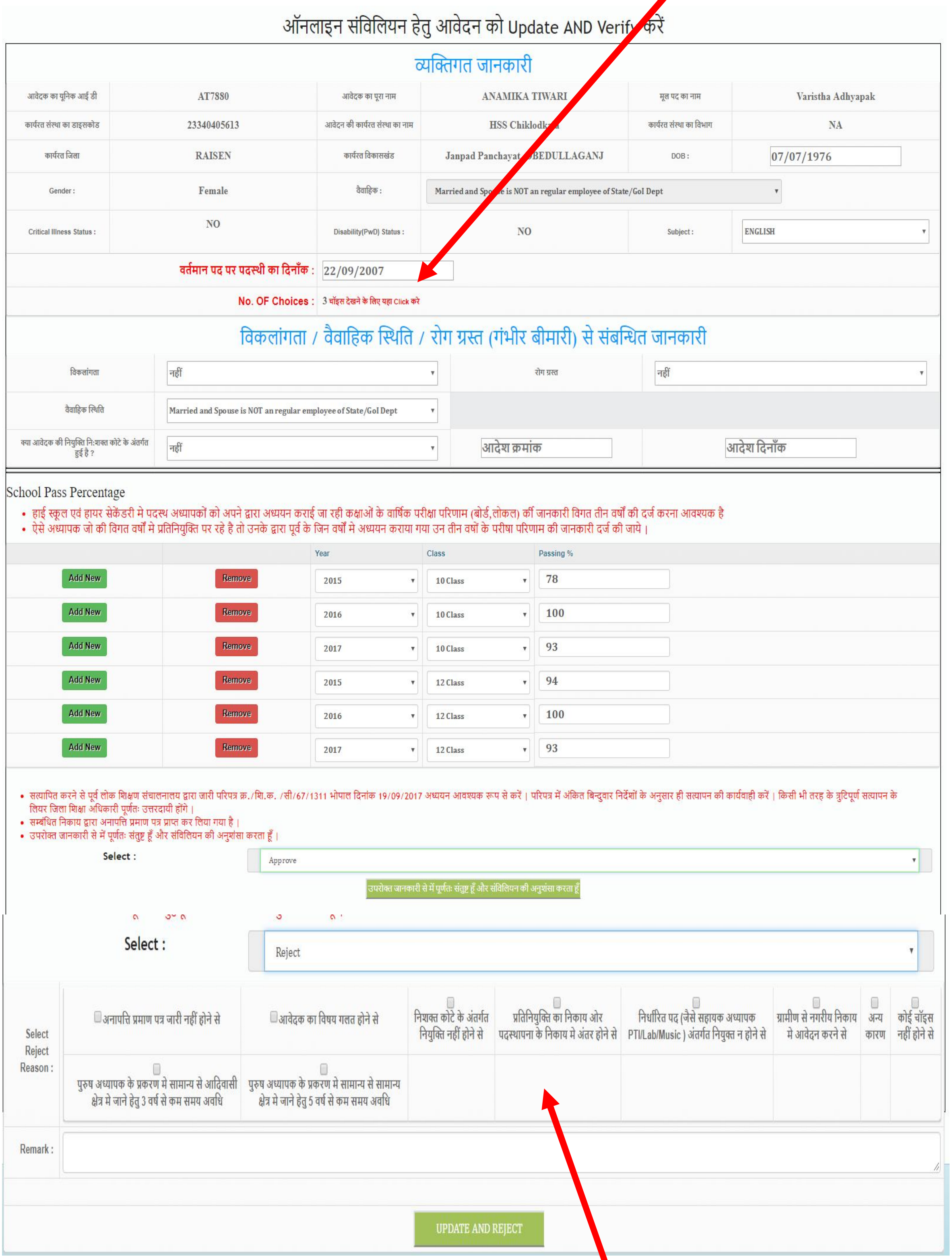

ऑनलाइन संविलियन हेतु आवेदन को Update AND Verify करें

व्यक्तिगत जानकारी

आवेदक का यूनिक आई डी	AT7880	आवेदक का पूरा नाम	ANAMIKA TIWARI	मूल पद का नाम	Varistha Adhyapak
कार्यरत संस्था का डाइसकोड	23340405613	आवेदन की कार्यरत संस्था का नाम	HSS Chiklodkala	कार्यरत संस्था का विभाग	NA
कार्यरत जिला	RAISEN	कार्यरत विकासखंड	Janpad Panchayat OBEDULLAGANJ	DOB :	07/07/1976
Gender :	Female	वैवाहिक :	Married and Spouse is NOT an regular employee of State/GoI Dept		
Critical Illness Status :	NO	Disability(PwD) Status :	NO	Subject :	ENGLISH

वर्तमान पद पर पदस्थी का दिनाँक : 22/09/2007

No. OF Choices : 3 चॉइस देखने के लिए यहा Click करे

विकलांगता / वैवाहिक स्थिति / रोग ग्रस्त (गंभीर बीमारी) से संबन्धित जानकारी

विकलांगता	नहीं	रोग ग्रस्त	नहीं
वैवाहिक स्थिति	Married and Spouse is NOT an regular employee of State/GoI Dept		
क्या आवेदक की नियुक्ति निःशक्त कोटे के अंतर्गत हुई है ?	नहीं	आदेश क्रमांक	आदेश दिनाँक

School Pass Percentage

- हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी मे पदस्थ अध्यापकों को अपने द्वारा अध्ययन कराई जा रही कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा परिणाम (बोर्ड,लोकल) की जानकारी विगत तीन वर्षों की दर्ज करना आवश्यक है
- ऐसे अध्यापक जो की विगत वर्षों मे प्रतिनियुक्ति पर रहे है तो उनके द्वारा पूर्व के जिन वर्षों मे अध्ययन कराया गया उन तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम की जानकारी दर्ज की जाये |

		Year	Class	Passing %
Add New	Remove	2015	10 Class	78
Add New	Remove	2016	10 Class	100
Add New	Remove	2017	10 Class	93
Add New	Remove	2015	12 Class	94
Add New	Remove	2016	12 Class	100
Add New	Remove	2017	12 Class	93

- सत्यापित करने से पूर्व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी परिपत्र क्र./शि.क. /सी/67/1311 भोपाल दिनांक 19/09/2017 अध्ययन आवश्यक रूप से करें | परिपत्र में अंकित बिन्दुवार निर्देशों के अनुसार ही सत्यापन की कार्यवाही करें | किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण सत्यापन के लियर जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे |
- सम्बंधित निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है |
- उपरोक्त जानकारी से में पूर्णतः संतुष्ट हूँ और संविलियन की अनुशंसा करता हूँ |

Select : Approve

उपरोक्त जानकारी से में पूर्णतः संतुष्ट हूँ और संविलियन की अनुशंसा करता हूँ

Select : Reject

Select Reject Reason :

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से	आवेदक का विषय गलत होने से	निशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्ति नहीं होने से	प्रतिनियुक्ति का निकाय ओर पदस्थापना के निकाय मे अंतर होने से	निर्धारित पद (जैसे सहायक अध्यापक PTI/Lab/Music) अंतर्गत नियुक्त न होने से	ग्रामीण से नगरीय निकाय मे आवेदन करने से	अन्य कारण	कोई चॉइस नहीं होने से
पुरुष अध्यापक के प्रकरण मे सामान्य से आदिवासी क्षेत्र मे जाने हेतु 3 वर्ष से कम समय अवधि	पुरुष अध्यापक के प्रकरण मे सामान्य से सामान्य क्षेत्र मे जाने हेतु 5 वर्ष से कम समय अवधि						

Remark :

UPDATE AND REJECT

किसी भी आवेदन को रिजेक्ट करने पर उपरोक्त कारण को ध्यान पूर्वक दर्ज करें |

सर्वप्रथम NOC की जाँच की जाए यदि NOC प्राप्त नहीं हुई है तो तत्काल आवेदन को रिजेक्ट किया जाये|

१. यदि NOC प्राप्त हो गयी है तो आवेदन में सम्बंधित एम्प्लोयी द्वारा जो जानकारी दर्ज की गयी है उसका मिलान उसके सेवा पुस्तिका एवं शाला के रिकॉर्ड से किया जायेगा जैसे
   - जन्मतिथि,
   - नियुक्ति तिथि
   - वर्तमान पद पर पदस्थी दिनांक ,
   - विषय,
   - बिकलांग कोटे में नियुक्ति की जानकारी,
   - गंभीर बीमारी,
   - वैवाहिक स्थिति जैसे पति पत्नी के शासकीय सेवा में होने की जानकारी/ विधवा/ परित्यक्ता आदि
   - गत वर्षों के परीक्षा परिणाम की जानकारी का मिलान शाला के रिकॉर्ड से करना

२. उपरोक्त जानकारी में यदि कोई भिन्नता है तो उसमे सुधार भी किया जा सकता है परन्तु यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जानकारी भरते समय अत्यंत सावधानी बरती जाए , किसी भी प्रकार की जानकारी भरे जाने के बाद उसमे मॉडिफिकेशन की सुविधा नहीं दी जाएगी |

३. किसी भी आवेदक के द्वारा कितनी चॉइस भरी गयी है उसकी संख्या दर्शित की गयी है और यदि चॉइस को देखा जाना हो तो उसका link भी दिया गया है ताकि नगरीय/ ग्रामीण निकाय आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके |

४. सहायक अध्यापक के आवेदनों में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवेदक की नियुक्ति सहायक अध्यापक पीटीआई, प्रयोगशाला, अथवा संगीत के पद पर ही की गयी है यदि ऐसा नहीं हो तो तत्काल आवेदन को रिजेक्ट करने की कार्यवाही की जाए |

५. सत्यापित करने से पूर्व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी परिपत्र क्र./शि.क. /सी/67/1311 एवं 1314 भोपाल दिनांक 19/09/2017 का अध्ययन आवश्यक रूप से करें | परिपत्र में अंकित बिन्दुवार निर्देशों के अनुसार ही सत्यापन की कार्यवाही करें | किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण सत्यापन के लिये जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे |

६. म्यूच्यूअल आवेदकों के लिए NOC की बाध्यता नहीं है उसके विषय और पद को सत्यापित किया जाये |